भारत सरकार

रेल मंत्रालय

लोक सभा

16.03.2022 के

अतारांकित प्रश्न सं. 2492 का उत्तर

उत्तर प्रदेश में विकास कार्य

2492. श्री हाजी फजलुर रहमान:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि;

(क) वर्ष 2021-22 के दौरान भारतीय रेलवे को आवंटित कुल बजट और व्यय की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) उत्तर प्रदेश में रेलवे लाइनों के दोहरीकरण, रेलवे स्टेशनों और नई रेलवे लाइन बिछाने हेतु रेलवे द्वारा कितनी धनराशि व्यय की गई है और तत्सबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सहारनपुर जिले के सहारनपुर और टपरी जंक्शन और अन्य रेलवे स्टेशनों पर विकास कार्यों और इस उद्देश्य के लिए आवंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रेल, संचार एवं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (ग): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

****

उत्तर प्रदेश में विकास कार्य के संबंध में दिनांक 16.03.2022 को लोकसभा में श्री हाजी फजलुर रहमान के अतारांकित प्रश्न सं. 2492 के भाग (क) से (ग) के उत्तर से संबंधित विवरण

(क): वर्ष 2021-22 के दौरान संशोधित अनुमानों में भारतीय रेल को आबंटित बजट और मांग सं. 84-रेल मंत्रालय के पूंजी खंड के अंतर्गत फरवरी, 2022 तक हुए खर्च का विवरण नीचे दिया गया है-

(₹ करोड़ में)

लघु शीर्ष	संशोधित अनुमान 2021-22	फरवरी, 2022 तक खर्च
नई लाइनें	19071.83	16987.39
आमान परिवर्तन	3038.09	2308.16
दोहरीकरण	32478.77	26407.24
यातायात सुविधाएं	4273.44	1964.58
कंप्यूटरीकरण	485.05	323.47
रेल अनुसंधान	23.48	30.06
चल स्टॉक	43433.11	30665.53
पट्टागत परिसंपत्तियां	14702.00	13753.76
सड़क संरक्षा समपार	731.00	322.24
उपरि/निचले सड़क पुल	3862.13	2791.99
रेलपथ नवीकरण	15229.72	14402.63
पुल, सुरंग कार्य और पहुंच मार्ग	1365.49	910.05
सिगनलिंग और टेलीकॉम कार्य	2332.41	1650.31
विद्युतीकरण परियोजनाएं	8171.51	5676.49
टीआरडी सहित अन्य बिजली कार्य	662.81	447.89
मशीनरी एवं संयंत्र	866.59	747.53
उत्पादन इकाइयों सहित कारखाने	2513.34	1905.33
कर्मचारी कल्याण	518.96	393.78
ग्राहक सुविधाएं	2351.42	1556.32
पीएसयू/जेवी/एसपीवी और अन्य आदि में निवेश	32244.41	21455.57
अन्य विनिर्दिष्ट कार्य	862.24	417.86
प्रशिक्षण/एचआरडी	144.93	45.85
वस्तुसूची (शुद्ध)	250.00	1839.00
महानगरीय परिवहन परियोजनाएं	2000.00	1369.72
ईबीआर (भागीदारी)	25000.00	9637.95
जमा या वसूलियां	*1612.73*	*2749.88*
कुल पूंजी व्यय	215000.00	155260.82

(ख) और (ग): रेल परियोजनाओं की स्वीकृति और बजट परिव्यय क्षेत्रीय रेल-वार उपलब्ध कराया जाता हैं न कि राज्य-वार क्योंकि रेल परियोजनाएं राज्य सीमाओं से होकर गुजरती हैं।

उत्तर प्रदेश राज्य में पूर्णतः/आंशिक रूप से पड़ने वाली अवसंरचनात्मक परियोजनाएं और संरक्षा कार्यों के लिए आबंटित वार्षिक बजट वर्ष 2019-20 में 8,403 करोड़ रु. था और वर्ष 2021-22 में 8,576 करोड़ रु. था। वर्ष 2021-22 के लिए इन परियोजनाओं के लिए अभी तक का सबसे अधिक 14,128 करोड़ रु. के बजट परिव्यय की व्यवस्था की गई है।

वर्ष 2014-21 के दौरान, उत्तर प्रदेश में पूर्णतः/आंशिक रूप से पड़ने वाली 2032 किमी लंबाई को कमीशन कर दिया गया है।

दिनांक 01.04.2021 के अनुसार, उत्तर प्रदेश में पूर्णतः/आंशिक रूप से पड़ने वाली 7038 किमी लंबाई की 97,961 करोड़ रु. की लागत वाली 79 परियोजनाएं योजना/अनुमोदन/निष्पादन के विभिन्न चरणों में हैं। इनमें शामिल हैं:

- **(i) 29,060 करोड़ रु. की लागत की 1743 किमी. कुल लंबाई वाली कुल 16 नई लाइन परियोजनाएं, जिनमें से 260 किमी लंबाई को कमीशन कर दिया गया है और मार्च, 2021 तक 4,465 करोड़ रु. रु का व्यय किया गया है।**
- **(ii) 2,717 करोड़ रु. की लागत से 447 किलोमीटर की लंबाई को कवर करने वाली 05 आमान परिवर्तन परियोजनाएं, जिनमें से 275 किलोमीटर की लंबाई को कमीशन कर दिया गया है और मार्च 2021 तक 1,918 करोड़ रु. का खर्च किया गया है।**
- **(iii) 66,184 करोड़ रु. की लागत से 4,848 किलोमीटर की लंबाई को कवर करने वाली 58 दोहरीकरण परियोजनाएं, जिनमें से 521 किलोमीटर की लंबाई को कमीशन कर दिया गया है और मार्च 2021 तक 12,850 करोड़ रु. का खर्च किया गया है।**

सहारनपुर अनुपनगरीय ग्रेड-3 (एनएसजी-3) कोटि का रेलवे स्टेशन है जबकि टपरी अनुपनगरीय ग्रेड-5 कोटि का रेलवे स्टेशन है। इन दोनों रेलवे स्टेशनों पर मानदंडों के अनुसार सभी न्यूनतम अनिवार्य सुविधाओं की व्यवस्था है। हाल ही में, सहारनपुर में कोच वाशिंग लाइन पर परिचालन और पर्यवेक्षण सहित जल के संरक्षण के लिए जल पुनर्चक्रण संयंत्र लगाने का कार्य किया गया है। दोनों रेलवे स्टेशनों पर उच्च स्तरीय प्लेटफार्म, पर्याप्त प्लेटफॉर्म शेल्टर, बैठने की व्यवस्था, पीने के पानी का नल, शौचालय, मूत्रालय और सीटों की व्यवस्था है।

भारतीय रेल पर स्टेशनों का उन्नयन/आधुनिकीकरण एक निरंतर एवं सतत प्रक्रिया है और यात्री यातायात की आवश्यकता, मात्रा और निधियों की उपलब्धता के आधार पर कार्यों को स्वीकृत और निष्पादित करते समय निचली कोटि के स्टेशन की अपेक्षा उच्च कोटि के स्टेशनों को प्राथमिकता प्रदान की जाती है।

****